लोकायुक्त कार्यालय

↳ अध्यक्ष + 8 सदस्य ⇒ कार्यकाल - 5 वर्ष / 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

लोक सेवा आयोग

Public service commission

↳ Art. 315-323, Part (भाग) → XIV (14)

Art. 315 ⇒ संघ के लिए (for Union) ⇒ 1 UPSC [संघ लोक सेवा आयोग / Union Public service comm.]

राज्य के लिए → SPSC ⇒ (State Public service commission / राज्य लोक सेवा आयोग]

Art. 316 → सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि / कार्यकाल
Appointment & Term of office of Members

नियुक्ति → UPSC → (Chairman) अध्यक्ष + अन्य सदस्य (other members)
↳ नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।

↳ SPSC ⇒ अध्यक्ष + अन्य सदस्य
↳ नियुक्ति राज्यपाल द्वारा

UPSC → Chairman + Members → कार्यकाल → 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु
→ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति

SPSC → chairman + members → कार्यकाल → 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
→ त्यागपत्र ⇒ राज्यपाल को

⇒ किसी भी सदस्य की (UPSC/SPSC) अपने पद पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) का पात्र नहीं होगा।

→ UPSC का chairman (अध्यक्ष) → Retire → तो दोबारा UPSC का chairman नहीं बन सकता है।

→ Member of UPSC / UPSC का सदस्य ⇒ Retire - तो दोबारा UPSC सदस्य ✗
→ ये UPSC का chairman ✓
→ ये SPSC का " ✓

⇒ Chairman of SPSC → Retire → तो दोबारा
SPSC chairman ✗
→ UPSC " ✓
→ UPSC Member ✓

SPSC → member → दोबारा SPSC Member ✗

→ UPSC chairman ✓

→ SPSC " ✓

→ UPSC Member ✓

Art. 317 ⇒ सदस्यों को हटाना या निलंबित करना (Removal & Suspension of Members)] UPSC/SPSC

→ आधार (Ground) → कदाचार (Missbehaviour) ⇒ इसका आरोप किसी भी सदस्य (UPSC/SPSC) पर लगाया जाता है तो इस आरोप (Blaim) की जांच Supreme Court द्वारा की जाती है।

⇒ Investigation (जांच) के दौरान अगर UPSC member है तो राष्ट्रपति और अगर SPSC member है तो राज्यपाल, सदस्य को निलंबित (suspend) कर सकते हैं।

⇒ जब Supreme Court अपनी जांच की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेजता है और यदि उस रिपोर्ट में सदस्य (UPSC/SPSC) पर लगे आरोप सही होते हैं तो राष्ट्रपति सदस्य (member) (UPSC/SPSC) को हटा सकते हैं।

↳ Art. 323

UPSC/SPSC ⇒ रिपोर्ट ⇒ UPSC प्रत्येक वर्ष (every year) अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाते हैं।

⇒ SPSC अपनी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को देती है और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल (Legislature) के सामने रखवाते हैं।

Art 320 → UPSC/SPSC के कार्य

योजना आयोग (Planning Commission) → गैर संवैधानिक संस्था
Non-Constitution body ≠

→ गठन (Formation) ⇒ 15 March 1950 को
के० सी० नियोगी की सिफारिश (Recommendation) पर।

→ अध्यक्ष (chairman) → 1st ⇒ Pt. J. L. Nehru (PM)
→ last ⇒ PM ⇒ मोदी

उपाध्यक्ष (Deputy chairman) → 1st ⇒ गुलजारी लाल नंदा
last ⇒ मोंटेक सिंह अहलूवालिया

⇒ वर्तमान इसे समाप्त कर दिया गया है।

⇒ योजना आयोग को समाप्त कर नीति (NITI) आयोग गठन किया गया है।

NITI Ayog (आयोग) ⇒ गैर-संवैधानिक निकाय
Non-Constitutional body

National Institute of Transforming India

→ गठन (Formation) ⇒ 1 Jan 2015

→ सरकार का बौद्धिक संस्थान (Thin Tank of Government)

→ अध्यक्ष (Chairman) ⇒ PM ⇒ मोदी जी (1st थे, जो अब तक है।)

→ उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) ⇒ 1st ⇒ अरविंद पनगढ़िया
⇒ वर्तमान में, सुमन बेरी

↳ नियुक्ति ⇒ PM द्वारा।

→ CEO (Chief executive officer) ⇒ मुख्य कार्यकारी अधिकारी

↳ नियुक्ति PM द्वारा

1st ⇒ सिंधु श्री खुल्लर

वर्तमान ⇒ बी० वी० आर० सुब्रह्मण्यम्